Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 SHISRRJ | Volume 3 | Issue 2 | ISSN : 2581- 6306

उद्गम स्थान पर कर की कटौती : एक अध्ययन

डॉ0 राज कुमार
एम.कॉम.,पीएच.डी. (वाणिज्य)
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (बिहार)

उद्गम स्थान से तात्पर्य आय उदय होने के स्थान से हैं कोई आय सर्वप्रथम जहाँ से प्राप्त होती है वही उस आय का उद्गम स्थान कहलाता है। आयकर अधिगम के विभिन्न प्रावधानों के प्रभाव से उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है आय का सर्वप्रथम भुगतान करने वाला व्यक्ति उस आय में से अनुमानित आयकर की राशि काट लेता है। तथा काटी हुई राशि को करदाता के नाम से सरकारी खजाने में जमा कर देता है और करदाता को काटी हुई राशि का एक प्रमाण–पत्र दे देता है। किसी को उद्गम स्थान पर कर की कटौती कहा जाता है। उद्गम स्थान पर काटा गया कर करदाता की और से कर का अग्रिम भुगतान माना जाता है और नियमित कर निर्धारण के अंतर्गत करदाता द्वारा देयकर की राशि में से उद्गम स्थान पर काटी गई राशि घटाकर ही कर का भुगतान किया जाता है।

आयकर अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत निम्न भुगतान करते समय उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जानी चाहिए–

1. आयकर अधिनियम की धारा 192 के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन की रकम का भुगतान करते समय प्रत्येक माह उसमें से आयकर की रकम की कटौती करें तथा इस रकम को सरकारी कोश में जमा करें। इस कार्य हेतु उसे अपने कर्मचारियों के पूरे वर्ष की अनुमानित वेतन से आय एवम् उसपर आयकर की रकम की गणना वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही करनी होगी। इस आयकर की रकम को कुल माह की संख्या से भाग देकर प्रति माह कर की रकम ज्ञात होगी जिसे प्रत्येक माह कर्मचारी के वेतन में काटना होगा।

2. प्रतिभूतियों पर ब्याज में कर की कटौती : धारा 193 के अंतर्गत प्रत्येक कम्पनी, संस्था अथवा अन्य कोई व्यक्ति जिसका प्रतिभूतियों का ब्याज चुकाने का दायित्व है। उसका यह कर्तव्य है वह एक निवासी को ब्याज का भुगतान करते समय या उसे किसी व्यक्ति के खाते में जमा करते समय उस पर निर्धारित दर से कर की कटौती करें और उस रकम को सरकारी खजाने में जमा करा दें। कर काटने वाली संस्था को काटे गये संबंध में प्रतिभूतिधारी या कर दाता को एक प्रमाण–पत्र दिया जाना आवश्यक है ताकि वह अपने व्यक्तिगत कर निर्धारण में चुकाये जाने वाले कर में से इस संबंध में कटौती प्राप्त कर सकें।

3. लाभांस में से कर की कटौती धारा 194 – घरेलू कम्पनी के मुख्य अधिकारी का यह दायित्व है कि वह एक निवासी अंश धारी को दिये गये धारा दो (22) (इ) में वर्णित लाभांसों पर उद्गम स्थान पर निर्धारित दर एवम् अधिभार यदि देय है+शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत से कर की कटौती करें।

निम्न दशाओं में लाभांस पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं होती है–
क. यदि कम्पनी का लाभांस का भुगतान एकाउन्ट पेय चेक के द्वारा करती है।
ख. यदि लाभांश की राशि दो हजार पॉच सौ रूपये से अधिक नहीं है।

4. प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य ब्याज पर कर की कटौती– धारा 194 ए के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर ब्याज छोड़कर अन्य किसी ब्याज के भुगतान पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है।

5. लौटरी अथवा वर्ग पहेली आदि के ईनाम से आय – धारा 194 बी. के अंतर्गत लॉटरी वर्ग पहेली, ताश के खेल एवम् किसी अन्य प्रकार के खेल के ईनाम का भुगतान करने वाला व्यक्ति का दायित्व है कि वह किसी व्यक्ति को पाँच हजार रूपये से अधिक ईनाम का भुगतान कर रहा है तो इस राशि पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती निर्धारित दर से कर ले।

6. घुड़दौर से जीत– धारा 194 बी.बी. के अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति जो घुड़दौर की जीत की रकम का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है दो हजार पाँच सौ रूपये से अधिक का भुगतान करने पर निश्चित दर से कर की कटौती की जाती है।

7. ठीकेदारों व उपठीकेदारों को किये गये भुगतान– धारा 194 सी. के अंतर्गत निम्न द्वारा किसी निवासी ठीकेदार को कोई काम करने अथवा किसी काम के लिए श्रम की पूर्ति करने के प्रतिफल में किये गये भुगतान के संबंध में आयकर की कटौती उद्गम स्थान पर करनी होगी–
क. किसी स्थानीय सत्ता द्वारा

ख. किसी कम्पनी द्वारा
ग. किसी फर्म द्वारा

8. **अनिवासी खिलाड़ियों एवम् खेल संघों को भुगतान**–धारा 194 ई. के अंतर्गत किसी अनिवासी खिलाड़ी को जो भारत का नागरिक नहीं है अथवा अनिवासी खेल के संघ अथवा संस्था को निम्न आयों के भुगतान करने वाले व्यक्ति का दायित्व है कि वह ऐसी किसी आय को भुगतान प्राप्त करता के खाता में जमा करते समय अथवा भुगतान करते समय जो पहले हो निश्चित दर से कर काट लें–

क. यदि वह खिलाड़ी है–
भारत में किसी खेल में भाग लेने से
विज्ञापन से
ख. यदि वह कोई खेल संघ अथवा संस्था है तो भारत में खेले गये किसी खेल के संबंध में उसे भुगतान करने के लिए जो राशि गारंटी की गई है।

9. लॉटरी के टिकटों को बेचने के संबंध में कमीशन आदि पर कर की कटौती–धारा 194 जी. के अंतर्गत किसी लॉटरी के टिकटों का वितरक अथवा लॉटरी के टिकटों का स्टॉक रखने वाले या विक्रेता को कमिशन पारिश्रमिक या ईनाम भुगतान किया जाता है तो भुगतान करने वाले का यह कर्तव्य है कि वह भुगतान की जाने वाली राशि पर 10 प्रतिशत की दर से+अधिभार+तीन प्रतिशत शिक्षा कर की कटौती करें।

उपरोक्त भुगतानों पर उद्गम स्थानों पर कर की कटौती का वर्णन किया गया है आय का उद्गम स्थान पर कर की कटौती की दरों में समय–समय पर परिवर्तन होते रहे हैं।

संदर्भ सूची :

1. आयकर विधान एवं लेखे –डॉ0 बी.के. अग्रवाल
2. वही पृष्ठ
3. आयकर नियोजन एवम् धन कर–डॉ0 एच.सी. मैल्हौत्रा
4. वही पृष्ठ
5. दूरदर्शन समाचार
6. इन्टरनेट
7. आयकर विभाग
8. विभिन्न वर्ग के कर दाताओं से मुलाकात